भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1839

जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सीवीसी के मामले

1839. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा बैंक कर्मचारियों के खिलाफ जांच हेतु कितने मामले भेजे गए हैं; और
(ख) विगत तीन वर्षों में सीवीसी से विभाग को भ्रष्टाचार पर मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अग्रेषित किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है**:-**

वर्ष	मामलों की संख्या
2022	11
2023	19
2024	10

(ख): सीवीसी से प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विभाग सीवीसी के सतर्कता मैनुअल और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐसी शिकायतों की जांच उपयुक्त रैंक के जांच अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके की जाती है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टाफ जवाबदेही की जांच जाती है, जो बैंक के चूककर्ता अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध कथित चूक, यदि कोई हो, के संबंध में विचार प्रस्तुत करता है। कार्रवाई योग्य चूक के मामले में, उसे बैंक की आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) के समक्ष रखा जाता है। आईएसी संबंधित चूककर्ता अधिकारी

(अधिकारियों) के विरुद्ध सतर्कता/गैर-सतर्कता कार्रवाई की मौजूदगी पर अपने विचार प्रस्तुत करती है और उसे बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को प्रस्तुत करती है। बाद में, सीवीओ सतर्कता/गैर-सतर्कता प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करता है और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) को सूचित करता है। तदनंतर, बैंक में डीए सीवीसी/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों तथा बैंक सेवा एवं अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार संबंधित बैंक कर्मचारी (कर्मचारियों) के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है।

*****